

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

<p>तारीख हुक्म</p>	<p align="center">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p> <p align="center"> बनाम..... मदनलाल पत्रावली मु.नं. 32/24 (सक) </p>
	<p>दिनांक 12-9-24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में वास्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 17-10-24 को पेश हो।</p> <p>17-10-24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से जवाब अर्पित। प्रतिवादी सं. 1 व 3 वकील को दिवायत दी जाती है कि वह जवाब अचिवार्थ रूप से पेश करे। शेष प्रतिवादी सं. 2, 4 लगा 16 के सम्मान पेश करने हेतु वादी-गण वकील को दिवायत दी जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब व लकी दिनांक 22-11-24 को पेश हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>22-11-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विधान सभा उपचुनाव-2024 के निर्वाचन कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यलय द्वारा पधारें। अतः निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रमाणित दिनांक 20-12-24 को पेश हो।</p> <p>20-12-24 पत्रावली पेश हुई। पक्ष वादी मय वादी अधिवक्ता सह उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 3 का अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी द्वारा आदिगांठ एक प्रतिवादी सं. 2, 4 लगा 16 के सम्मान सम्मान जस्टिस हेतु AD पेश नहीं किये गये हैं। वादी को बार-2 निर्दिष्ट करने के बावजूद भी निर्देशों की अवहेलना</p> <p align="right">-- वादी</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक
की तामील मेंजारी हुए

.....बनाम.....
मदन लाल प्रभुश्याल
मु.नं. 32/24 (319D)

की जारी जा रही है। इसलिए पत्रावली से 'आन्तम
अर्थवर्षी' दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः पत्रावली
आदेश 9 नियम 2 पर (जहां 'सम्मान' की लगी है,
स्वयं देने में वादी के असफल होने के परिणामस्वरूप
नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना) के अन्तर्गत
प्रदत्त प्रस्थान का प्रयोग करके खारिज की जाती है।
पत्रावली केवल शुमार लेकर गणित स्फुट हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)